सं0–360 /IV-श0वि0–07–197(सा0)/05–टी0सी0

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 12 अक्टूबर, 2007

विषय : नगर पंचायत, सुल्तानपुर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 476/V-श0वि0–06–197 (सा0)/05–टी0 सी0 दिनांक 6–3–06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, सुल्तानपुर जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत पांच कार्यों हेतु रू0–242.08 लाख की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 67.08 की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं0 1932/श.वि.नि. –485–2005/लेखा /07–08 दिनांक 07 अगस्त 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरांत, शासनादेश दिनांक 6–3–06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष रू0–175.00 लाख के विपरीत रू. 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश सं0 476/V-श0वि0–06–197 (सा0)/05–टी0 सी0 दिनांक 6–3–06 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31–03–08 तक उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराचंल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकाय, निगमें, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-474/XXVII(2)/2006, दिनांक-11 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

सं0-260(1)/V-श0वि0-07,तद्दिनांक। 23/10/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सुल्तानपुर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

231007006